भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(107)

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी 939-PBR-15

प्रकरण क्रमांक /2015

सरदार गुरुचरण सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष
आत्मज मनमोहन सिंह
निवासी – म.नं. 395
सेक्टर-2, पंचकुला, हरियाणा

................आवेदक

विरूद्ध

डॉ.नसीमा हुसैन,
पत्नी श्री अहमद हुसैन
निवासी – एस-80
श्यामला हिल्स, भोपाल

...........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 11.6.2014 पारित द्वारा माननीय राजस्व निरीक्षक, मण्डल 1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसकी संसूचना दिनांक 18.3.2015 को धारा 250 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रकरण में उपस्थिति दर्ज करने पर प्राप्त हुई अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/13-14

आवेदक की ओर से निवेदन है कि:-

यह कि आवेदक ग्राम इस्लाम नगर का कृषक है जहाँ पर उसकी भूमि खसरा क्रमांक 25/2, 31/1, 31/3, 34/4 कुल क्षेत्रफल 15.00 एकड़ के रूप में विद्यमान है जो उसके पिता को राज्य शासन द्वारा सेना से सेवानिवृत्त होने के कारण प्रदान की गई थी। आवेदक स्वयं भी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी है। वर्तमान में वह पंचकुला हरियाणा में निवास कर रहा है।

यह कि आवेदक की भूमि के पूर्व दिशा की ओर एक शासकीय सड़क लगभग 10 फीट चौड़ी डामर की विद्यमान है जिसके पश्चात् नहर एवं नहर के दूसरी ओर अनावेदिकां की भूमि विद्यमान है। अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु एक आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 4.6.2014 को सीमांकन किया गया। सीमांकन का कोई नोटिस आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ न ही ऐसा कोई नोटिस किसी अन्य पड़ोसी कृषक द्वारा आवेदक के ज्ञान में लाया गया। ऐसा सीमांकन टोटल स्टेशन मशीन के सहयोग से किया गया था। इस सीमांकन में संबंधित राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा यह दर्शाया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदिका की भूमि के अंशभाग पर अवैध कब्जा कर रखा है जबकि अनावेदिका एवं आवेदक की भूमि एक-दूसरे से छूकर भी विद्यमान नहीं है एवं दोनों की भूमियों के मध्य 10फीट चौड़ी डामर की सड़क एवं नहर विद्यमान है। किंतु ऐसे तथ्यों को अनदेखा का एवं बिना आवेदक को सूचित किये सीमांकन कार्य किया गया है। जिससे व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है कि:-

निगरानी के आधार

1. यह कि निगरानीग्रस्त आदेश सह सम्पूर्ण कार्यवाही विधि, तथ्यों एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-939-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-06-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुज़ूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	